रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3575] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 11, 2018/भाद्र 20, 1940
No. 3575] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 11, 2018/BHADRA 20, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2018

का.आ. 4724(अ).—आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और वित्तीय अपवंचन के निवारण के लिए भारत गणराज्य की सरकार और पुर्तगाली गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय, जिस पर 11 सितंबर, 1998 को लिस्बन में हस्ताक्षर किए गए थे, का संशोधन करने वाले प्रोटोकाल पर 24 जून, 2017 को लिस्बन में हस्ताक्षर किए गए हैं, जैसा इस अधिसूचना से संलग्न उपाबंध में उपवर्णित है और जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधनकारी प्रोटोकाल कहा गया है;

और उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने की तारीख, जो 8 अगस्त, 2018 है वह उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 के अनुसार उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए आंतरिक विधिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के पश्चात तीसवां दिन होगा;

अतः अब केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित करती है कि उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल के सभी उपबंध 8 अगस्त, 2018, से उस तारीख को जिसको उक्त संशोधनकारी प्रोटोकॉल प्रवृत्त हुआ था, भारत संघ में प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं43/फा.सं. 503/05/1991-एफटीडी-।]
प्रज्ञा एस.सक्सेना, संयुक्त सचिव

उपाबंध

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय का संशोधनकारी प्रोटोकॉल

भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा पुर्तगाल गणराज्य की सरकार के बीच अभिसमय (जिसे इसके बाद "अभिसमय" कहा गया है), जिस पर 11 सितंबर, 1998 को हस्ताक्षर किये गये थे, को संशोधित करने की इच्छा से,

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद I

अभिसमय के अनुच्छेद 26 के पाठ को हटाया गया और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया गया:

"1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस अभिसमय के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक या प्रशासनिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्त्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानत: संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस अभिसमय के प्रतिकूल नहीं है। सूचनाओं का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।

2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए सूचना का उपयोग करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ऐसे प्रयोग को प्राधिकृत करें।

3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:

(क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;

(ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति *(आर्डर पब्लिक)* के प्रतिकूल हो।

4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।

5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद II

संविदाकारी राज्य अभिसमय के प्रोटोकॉल में निम्नलिखित पैराग्राफ शामिल करने के लिए सहमत हैं:

"अनुच्छेद 26 के संदर्भ में

आपूर्तिकर्ता एवं प्राप्तकर्ता अभिकरण अनाधिकृत पहुंच, अनाधिकृत परिवर्तन तथा अनाधिकृत प्रकटन के प्रति आपूर्ति किए गए व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए प्रभावी उपाय करने के लिए बाध्य होंगे।"

अनुच्छेद III

यह प्रोटोकॉल प्रत्येक संविदाकारी राज्य में इस प्रोटोकॉल के प्रवृत्त होने के लिए आवश्यक आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं का पूरा होना दर्शाने वाली राजनयिक टिप्पणियों के आदान-प्रदान किए जाने की तिथि के बाद से तीसवें दिन प्रभावी होगा।

अनुच्छेद IV

यह प्रोटोकॉल इस अधिसमय का अभिन्न अंग होगा तथा यह तब तक लागू रहेगा जब तक यह अभिसमय लागू रहेगा,

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

लिस्बन में 24 जून वर्ष 2017 तारीख को हिन्दी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस प्रोटोकॉल की प्रयोज्यता अथवा व्याख्या में किसी अंतर के मामले में, अंग्रेजी पाठ प्रामाणिक होगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

क. नंदिनी सिंगला
पुर्तगाल में भारत के राजदूत

पुर्तगाल गणराज्य की
सरकार की ओर से

फ्रांसिस्को ड्युआर्टे लोपेज
महानिदेशक विदेश निति